


वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : नि० 159 / 3-5 (वाईल्ड लाईफ बोर्ड की सहायता) देहरादून, दिनांक 17 जुलाई, 2019

शुद्धि-पत्र


वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सैक्टर योजना 2406-02-110-03-00-वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक नि०-47/3-5 (वाईल्ड लाईफ बोर्ड की सहायता) दिनांक 04 जुलाई, 2019 (अलाटमैन्ट आई०डी०-H19070270009 दिनांक 04.07.2019) से निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून को अवमुक्त/जारी धनराशि ₹ 18,00,000/- (₹ अठारह लाख मात्र) को प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निरस्त किया जाता है।


(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि० 159(1)/3-5 (वाईल्ड लाईफ बोर्ड की सहायता) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कार्यालय के इस कार्यालय के पत्रांक नि०-47/3-5 (वाईल्ड लाईफ बोर्ड की सहायता) दिनांक 04 जुलाई, 2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून।
10. मुख्य वन संरक्षक, आइ०टी०सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।


(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक